भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5327
दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन

5327. श्री राहुल कस्वांः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि 2025 तक हर घर में घरेलू नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार जेजेएम की योजना के अनुसार उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ है और पूर्ण हो चुके कार्य में तकनीकी खामियों के कारण उक्त मिशन के अंतर्गत हर घर को समुचित रूप से पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सका है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने अपूर्ण कार्य के कारण बार-बार समय-सीमा बढ़ाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने कार्य पूर्ण होने में देरी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों या फर्मों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की है;
और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): भारत सरकार ने अगस्त 2019 में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू की थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 31.03.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 12.34 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 31.03.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.57 करोड़ (80.38%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव पर ध्यान देने के साथ मिशन के निरंतर कार्यान्वयन के माध्यम से 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान वर्धित कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

(ङ) और (च): पेयजल राज्य का विषय है, इसलिए पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव राज्य सरकारों का अधिकार है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, की गई कार्रवाई के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे के संबंध में विशिष्ट शिकायतें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी जाती हैं और उनके द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, मिशन के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के माध्यम से राज्यों को सलाह दी गई है कि वे संविदा दस्तावेजों में अपेक्षित दंड खंड शामिल करें ताकि कार्यान्वयन में विलंब से बचने के लिए एजेंसियों को हतोत्साहित किया जा सके।

*****

अनुबंध

दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5327 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जेजेएम: 31.03.2025 तक ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(संख्या लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	दिनांक 15.8.2019 तक नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार		दिनांक 15.8.2019 से जिन ग्रामीण परिवारों नल जल कनेक्शन दिए गए		आज की तारीख में नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	0.33	53.98	0.62	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	9.97	2.06	90.03	2.29	100.00
3.	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	0.85	0.00	0.00	0.85	100.00	0.85	100.00
4.	गोवा	2.64	1.99	75.44	0.65	24.56	2.64	100.00
5.	गुजरात	91.18	65.16	71.46	26.02	28.54	91.18	100.00
6.	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	12.75	41.92	30.41	100.00
7.	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.64	9.46	55.36	17.09	100.00
8.	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.24	93.09	1.33	100.00
9.	पुदुचेरी	1.15	0.94	81.33	0.21	18.67	1.15	100.00
10.	पंजाब	34.27	16.79	48.98	17.48	51.02	34.27	100.00
11.	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	38.30	70.95	53.98	100.00
12.	उत्तराखंड	14.50	1.30	8.99	12.83	88.46	14.13	97.45
13.	लद्दाख	0.41	0.01	3.48	0.38	93.30	0.39	96.77
14.	बिहार	167.55	3.16	1.89	157.19	93.82	160.36	95.71
15.	नागालैंड	3.64	0.14	3.82	3.24	88.95	3.37	92.76
16.	लक्षद्वीप	0.13		0.00	0.12	91.41	0.12	91.41
17.	सिक्किम	1.33	0.70	52.96	0.51	38.32	1.21	91.28
18.	महाराष्ट्र	146.79	48.44	33.00	82.76	56.38	131.20	89.38
19.	उत्तर प्रदेश	267.22	5.16	1.93	232.72	87.09	237.89	89.03
20.	तमिलनाडु	125.27	21.76	17.37	89.29	71.27	111.05	88.64
21.	त्रिपुरा	7.51	0.25	3.26	6.18	82.30	6.42	85.56
22.	कर्नाटक	101.31	24.51	24.20	60.73	59.95	85.25	84.15
23.	मेघालय	6.51	0.05	0.70	5.30	81.41	5.34	82.11
24.	असम	72.25	1.11	1.54	57.77	79.95	58.88	81.49
25.	जम्मू एवं कश्मीर	19.21	5.75	29.95	9.85	51.27	15.60	81.22
26.	छत्तीसगढ़	50.01	3.20	6.39	37.20	74.39	40.40	80.78
27.	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.34	73.85	3.59	79.59
28.	ओडिशा	88.69	3.11	3.50	64.85	73.11	67.96	76.62
29.	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.18	39.78	41.64	70.52	73.82
30.	मध्य प्रदेश	111.79	13.53	12.10	63.38	56.69	76.91	68.80
31.	राजस्थान	107.74	11.74	10.90	48.72	45.22	60.46	56.12
32.	पश्चिम बंगाल	175.56	2.15	1.22	94.76	53.97	96.91	55.20
33.	झारखंड	62.55	3.45	5.52	30.86	49.33	34.31	54.85
34.	केरल	70.77	16.64	23.51	21.91	30.96	38.56	54.48
	कुल	**19,36.61**	**3,23.63**	**16.71**	**12,33.02**	**63.67**	**15,56.65**	**80.38**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस एचएच: परिवार